

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-डूंगरपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स स्वप्न सृष्टि,
24, आयकर कॉलोनी,
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री जे.एम.व्यास,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 10/आरवैट/एनआरडी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डूंगरपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रत्यर्थी पर शास्ति रूपये 1,76,453/- आरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डूंगरपुर द्वारा दिनांक 06.03.2008 को वाहन संख्या RJ-09G/1974 के माल प्रभारी/चालक द्वारा चैकपोस्ट रतनपुर पर प्रवेश के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर माल प्रेषिति मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. लौम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी को बताते हुए माल की सुपुर्दगी व्यवसाई के गोदाम से चित्तौड़गढ़ साईट पर दिये जाने का अंकन किया हुआ था, जबकि व्यवसाई जयपुर में पंजीकृत है, परन्तु फिर भी उसके द्वारा माल को वांछित घोषणा प्रपत्र वैट-47 के साथ ब्रांच/स्टॉक ट्रांसफर नहीं बताकर अन्तर्राज्यीय बिक्री में दर्शाया गया है, अतः व्यवसाई को वास्ते स्पष्टीकरण नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसाई की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर उक्त माल का प्रेषण ब्रांच/स्टॉक ट्रांसफर हेतु किया गया है, वांछित घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को मिथ्या दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से माल परिवहनीत करने का दोषी मानते हुए परिवहनीत माल कीमतन रूपये 5,88,175/- पर राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,76,453/- आरोपित की गई है, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।


3. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अपील आधारों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना तथ्यों एवं लिखित जवाब पर गौर किये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो कि अविधिक होने के साथ-साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के भी विपरीत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त अपील सुनवाई वांछित घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया एवं बिना किसी उचित कारण के बिना प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच उन्हें मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किये बिना एवं बिना प्रत्यर्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो कि अविधिक है। प्रत्यर्थी राजस्थान में पंजीकृत है एवं उक्त माल का परिवहन आई.सी.आई.सी.आई. लौम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी से मिले कार्यादेश के अनुसरण में कार्यादेश की पूर्ति हेतु चित्तौड़गढ़ भिजवाया जा रहा था। प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति अविधिक होने से अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4. विभागीय प्रतिनिधि द्वारा शास्ति आदेश दिनांक 07.03.2008 का समर्थन किया एवं प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति को विधिसम्मत बताया गया।

5. उभयपक्ष की बहस को सुना गया एवं अभियोग पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया, जिससे पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को अपूर्ण दस्तावेजों के जरिये माल परिवहनीत करने का दोषी मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। जबकि अभियोग पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के अनुसार परिवहनीत माल अपीलार्थी द्वारा उसे आई.सी.आई.सी.आई. लौम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से मिले कार्यादेश के अनुसरण में भिजवाया जा रहा था, जिसकी पुष्टि उनके कार्यादेश दिनांक 04.03.2008 से होती है एवं जो कि पत्रावली के पृष्ठ-7 से 9 पर मौजूद है। प्रत्यर्थी राज्य में पंजीकृत है तथा नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में उसके द्वारा वांछित घोषणा पत्र वैट-47 वक्त परिवहन माल के साथ मौजूद नहीं होने के तथ्य को स्वीकारते हुए वांछित घोषणा प्रपत्र वैट-47 अविलम्ब प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, उक्त जवाब पत्रावली के पृष्ठ-11 पर मौजूद है तथा प्रत्यर्थी द्वारा वक्त अपील सुनवाई वांछित घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत किया गया है, जो अपील पत्रावली पर मौजूद है। वाहन की जांच दिनांक 06.03.2008 को की गई है, वह शास्ति आदेश दिनांक 07.03.2008 को एक दिवस के पश्चात् ही पारित कर दिया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.03.2008 को फर्म के लेटरहेड पर अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित निवेदन किया है कि वह आज ही फैसला कराना चाहते हैं तथा शास्ति के लिये डी.डी. राशि रुपये 1,76,453/- का प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः अपीलार्थी का यह आपत्ति सारहीन है कि अभियोग दिनांक 06.03.2008 को बनाया गया और शास्ति आदेश दिनांक 07.03.2008 को पारित किया गया। उक्त पत्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 पर संलग्न है। अपीलीय आदेश दिनांक 30.01.2009 को पारित करते समय व्यवसायी ने वैट 47 क्रमांक 1714747 अपीलीय अधिकारी के समक्ष

प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाई के अभियोग बनने के बाद में उक्त फार्म कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस की पालना में उपलब्ध प्रथम अवसर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह भी रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है कि उक्त फार्म अभियोग बनने से पूर्व अस्तित्व में नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल्स में किये गये अभिनिर्धारण के अनुसार यदि भूलवश कोई दस्तावेज (वैट-47) प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो तथा उक्त फार्म अभियोग बनने से पूर्व अस्तित्व में हो तो प्रथम नोटिस की पालना में उक्त फार्म यदि प्रस्तुत किया जाता है तब ही शास्ति आरोपण से छूट प्राप्त होती है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में वैट-47 न तो अभियोग दिनांक 06.03.2008 के पूर्व विद्यमान था और न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रथम नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया। अतः इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डी.पी.मेटल्स का निर्णय लागू नहीं होता है यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गूलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय (18) टैक्स अपडेट 321 से कवर होता है। व्यवसाई को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाने के उपरान्त भी यदि वांछित दस्तावेजात व स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, तत्पश्चात् विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जानी चाहिये, जो इस प्रकरण में की गई है। उपायुक्त(अपील्स) ने व्यवसाई की अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकरण में धारा 76(2) सपठित नियम 53 की पालना का प्रश्न निहित था जिसकी व्यवसाई ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी पालना नहीं की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित शास्ति विधिसम्मत होने के कारण पुनः बहाल की जाती है तथा उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, जयपुर के आदेश दिनांक 30.01.2009 को अपास्त किया जाता है।

6. फलतः राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य